न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल

एस0सी0/एस0टी वाद सं0– 100/2025

जदिया थाना काण्ड संख्या– 164/2025

R.B. No. 15/2026

20/05/2026

कारांधीन अभियुक्त मो0 दाउद एवं मो0 ईरसाद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश अम्बेदकर के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त मो0 दाउद के विरूद्ध पूर्व से दो आपराधिक मामले दर्ज है तथा प्रार्थी अभियुक्त इरसाद का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्व लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल बनावटी एवं मनगंढत है तथा स्थानीय राजनीति एवं दुश्मनी के कारण उसे झुठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप में धारा 74, 76, 303(2), 89, 92 बी0एन0एस0 एवं धारा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोपों को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय प्रकृति का है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधित विवाद है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 23/03/2026 से काराधीन है। प्रार्थी आवेदकगण सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचिका के उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया परंतु सुनवाई के क्रम में सूचिका उपस्थित नहीं हुई।

प्रस्तुत वाद सूचिका खुशबू देवी के आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण सहित अन्य अभियुक्तगण विरूद्ध धारा 191(2), 190, 126(2), 118(1), 117(2) 74, 76, 303(2), 89, 92, 352, 351(2) BNS and 3(1)(r)(s) SC/ST Act दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 25.07. 2025 दिन शुक्रवार को संध्या करीब 4 बजे सूचिका अपने दरवाजे पर रोड किनारे अपने देवर राज कुमार एवं जाउत गौरव कुमार के साथ खड़ी थी तभी तेज गति से आ रही मोटरसाईकिल निबंधन सं0– बी0आर0–511–बी0एन–5944, जिस पर पीछे बीबी जरीना खातुन बैठी थी तथा गाड़ी उसका दामाद चला रहा था तथा तेज गति से आकर दोनों सूचिका के देवर को ठोकर मार दिया जिससे वह रोड पर गिरकर घायल हो गया। सूचिका अपने देवर को घायल देख गाड़ी चालक एवं उसकी सास को बोली गाड़ी चलाने नहीं आता है तो रोड पर क्यों आते हो, इतना कहते ही उक्त दोनों अभियुक्तगण सूचिका को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए बोला कि रोड पर रहेगी तो ऐसा ही होगा और इज्जत और जान गवाना पड़ेगा तथा गलत नियत से उसका बाल पकड़कर रोड पर पटक दिया और हल्ला किया हल्ला सुनकर अन्य अभियुक्तगण भी आ गए और सभी तलवार, लाठी, फट्ठा, फरसा व हरबे हथियार से लेश होकर 20–25 अज्ञात आदमी दौड़ते हुए आए और सभी जाति सूचक शब्द चमैनिया कहकर गाली गलौज किया और सूचिका एवं उसके देवर को लात मुक्का से मारते हुए रोड पर घसीटने लगे। उसी बीच मो0 इमराहिम एवं मो0 हसाम ने सूचिका के पेट पर लात से मारा, जिससे सूचिका का गर्भपात हो गया। सूचिका रोड पर गिर गई, उसी बीच गलत नियत से मजफ्फर आलम ने सूचिका का ब्लॉज फाड़ दिया और साड़ी खींचकर अर्धनग्न कर दिया तथा उसके गला से सोना का मंगलसूत्र छीन लिया। सूचिका को बचाने उसकी चचेरी सास, गोतनी एवं देवर आये तो अभियुक्त खलील ने सूचिका के देवर पर लाठी से प्रहार कर दिया। उसी बीच मो0 अफजल ने सूचिका का गोतनी का ब्लाउज फाड़कर छेड़छाड़ करने लगा तथा उसके गला चांदी का चेन छिन लिया तथा सूचिका के सास को सभी मिलकर घायल कर दिया। अभियुक्त मो0 सजाद एवं मुन्ना बक्सा लेकर भाग गया, बक्सा में 15 हजार रूपया एवं कपड़ा भी था। हल्ला पर अगल बगल के लोग आने लगे तो अभियुक्तगण भाग गया। उसके बाद सभी घायल को ईलाज के लिए त्रिवेणीगंज अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सूचिका को सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसकी सास, गोतनी एवं देवर के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने, गलत नियत से कपड़ा फाड़ने एवं जेबर छिनने व बक्सा लेकर

भागने का आरोप है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि मारपीट करने एवं अन्य अपराध कारित करने का आरोप अन्य अभियुक्तगण पर है। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 25.07.2025 के घटना को लेकर दिनांक 02.08.25 को काफी विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कांड दैनिकी की कंडिका 30,32एवं 33 में जख्मी का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है, जिससे स्पष्ट है कि जख्मियों के बदन पर कोई बाहरी जख्म नहीं पाया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्तगण के जमानत आवेदन के कंडिका 10 के अनुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 23/03/2026 से अर्थात् लगभग 2 महीने से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों में प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 दाउद एवं मो0 इरसाद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से मो0 10,000/– रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(दिलीप कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल